

8.7.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिजार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। ~~आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर दी जायेगी। अन्य दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये सो हे इल्लो स्प्ट हे कि अपीलान्त अपील खारिज कर दी जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली केसल सुनार होकर तहत ने कर्ब होकर सड तारीख तकपील दाखिल दफ्तार हो~~ है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

24

12/8/24

~~पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। अन्य दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये सो हे इल्लो स्प्ट हे कि अपीलान्त अपील खारिज कर दी जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली केसल सुनार होकर तहत ने कर्ब होकर सड तारीख तकपील दाखिल दफ्तार हो~~

12/8/24

~~पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। अन्य दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये सो हे इल्लो स्प्ट हे कि अपीलान्त अपील खारिज कर दी जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली केसल सुनार होकर तहत ने कर्ब होकर सड तारीख तकपील दाखिल दफ्तार हो~~



जेमीन्यन्द अधिकारी एवं पदेन सजसच अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्ड्राने)